5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

63

निग- 853-PBR-16

न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ﴾ ग्वालियर ﴿ जिला ग्वालियर ।

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी

भोलाराम पुत्र स्व किशनलाल ,

आयु 64 वर्ष , व्यवसाय- कृषि

निवासी ग्राम केट परगना व जिला ग्वालियर

---- आवेदक

बनाम

मोहम्मद रज्जाक पुत्र नूरखाँ ﴾ हकीम जो ﴿

निवासी आपागंज , लश्कर, ग्वालियर ।

----- अनावेदक

O.P. Sharma Adv.
11-03-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता ,

विरुद्ध आदेश दिनांक 20-10-14 को तहसीलदार उप तहसील

घाटीगांव द्वारा प्र०क्रं० 5/2013-14 /अ-12 में पारित किया ।

---0---

11/3/16

श्रीमान् जी ,

निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

﴾1﴿- यह कि, प्रतिप्रार्थी ने सर्वे क्रमांक 175/3/2 मिन-2 रकबा 1.244 हे० के सम्बन्ध में सीमांकन कराने का आवेदन प्रस्तुत किया व सीमांकन कराया ।

﴾2﴿- यह कि, उक्त सीमांकन में आवेदक को कोई सूचना नहीं दी एवं साँठ-गाँठ करके घर बैठकर सीमांकन कराया है मौके पर कोई सीमांकन नहीं हुआ है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 853–पीबीआर/16 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–4–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं तहसील न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–10–14 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी दिनांक 11–3–16 को लगभग 14 माह से भी अधिक विलम्ब प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण की ओर से विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें विलम्ब का कारण सीमांकन कार्यवाही की सूचना नहीं दिया जाना दर्शाया गया है । तहसील न्यायालय के प्रकरण देखने से स्पष्ट है कि आवेदक को लिखित में सूचना दी गई है, किन्तु उसके द्वारा सूचना पत्र लेने से इन्कार किया गया है । अतः आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का जो कारण दर्शाया गया है, वह समाधानकारक नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	